महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – बत्तीसवां संस्करण | नवम्बर, 2017

अनुक्रमणिका

1. सीख रहें हैं आवास बनाने का कौशल
2. अपनी बात ....
3. ''सुरक्षित बचपन'' विषय पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
4. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 21.09.2017 में दिये गये निर्देश
5. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 28.09.2017 में दिये गये निर्देश
6. जल संरक्षण ही जल का रक्षण
7. स्टेट लेविल मास्टर रिसोर्स पर्सन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम

हमारा संस्थान

सीख रहें हैं आवास बनाने का कौशल

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत हितग्राहियों के ग्रामीण आवास गुणवत्तापूर्ण बनाये जावें इसके लिए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यस्थल पर ही आयोजित किये जावेंगे। राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए ''डेमास्ट्रेटर्स'' का प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2017 की अवधि में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में जिला जबलपुर उमरिया के 70 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को ग्रामीण आवास निर्माण से संबंधित विषय यथा ले–आउट करना, ईट जुड़ाई, दरवाजे खिड़कियॉ लगाना, पत्थर की जुड़ाई, फ्लोरिंग, बीम तैयार करना, कांक्रीट वर्क, मचान लगाना, मसाला बनाना, दीवार बनाना, छत ढ़ालने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं एवं अभ्यास भी संस्थान में बने यार्ड में कराया जा रहा है।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रतिभागियों का मूल्यांकन कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सी.एस.डी.सी.आई.) दिल्ली के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन में उत्तीर्ण प्रतिभागियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास के निर्माण करते समय प्रशिक्षण दिया जावेगा।

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का बत्तीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो इस साल का मासिक संस्करण के रूप में ग्यारहवां संस्करण है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत हितग्राहियों के ग्रामीण आवास गुणवत्तापूर्ण बनाये जावें इसके लिए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यस्थल पर ही आयोजित किये जाना है। इस हेतु डिमांस्ट्रेटर्स के प्रशिक्षण का आयोजन संस्थान में हुआ जिसके संबंध में एक समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) के सहयोग से ''सुरक्षित बचपन'' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण को भी समाचार आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 21 सितम्बर, 2017 एवं 28 सितम्बर, 2017 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। साथ ही **''जल संरक्षण ही जल का रक्षण''** आलेख के माध्यम से रोचक अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त **''स्टेट लेविल मास्टर रिसोर्स पर्सन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम''** समाचार आलेख के माध्यम से संस्थान में हुये एक प्रशिक्षण पर एक आलेख की प्रस्तुति हैं।

हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण अत्यंत रूचिकर लगेगा तथा कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

''सुरक्षित बचपन'' विषय पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार – National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) के सहयोग से महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर में दिनांक 16–17 अक्टूबर 2017 की अवधि में "Training of Trainers on Safe Childhood Programme" आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ''सुरक्षित बचपन'' विषय पर पंचायतराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिये मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के 25 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

यूनीसेफ के श्री के.के.सिंह एवं सुश्री सुधा नायर द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में वयस्क शिक्षा बोध, शिक्षण शैलियां, अच्छे संप्रेषक के गुण, बाल अनुकूल पंचायत पर समझ बढ़ाना, यूनीसेफ द्वारा तैयार किये गये 9 माड्यूल यथा – मातृ स्वास्थ्य, प्रसव–पश्चात् नवजात शिशु की देखरेख, प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएं, जेंडर संबंधी भेदभाव, बाल विवाह, बालश्रम, बच्चों की तस्करी और प्रवास, बच्चों का यौन उत्पीड़न, भागीदारी और जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई।

इसके बाद प्रतिभागियों के समूह से 9 माड्यूल की मॉक प्रस्तुति भी कराई गई। प्रत्येक समूह द्वारा की गई प्रस्तुति पर प्रशिक्षकों द्वारा अपने सुझाव भी दिये गये। प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण के विषयों पर जानकारी देने एवं सभी समूहों द्वारा प्रस्तुति देने से प्रतिभागियों का ज्ञान बढ़ा एवं इन विषयों पर समझ स्पष्ट हुई।

डॉ संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 21.09.2017 में दिये गये निर्देश

1. नल जल योजनायें

1.1 जिन नल–जल योजनाओं की मरम्मत के लिये निविदा प्राप्त नही हुई है उनमें पुनः निविदा आमंत्रित करने के लिये PHE ने गारंटी अवधि 02 वर्ष की है।

1.2 रू. 20.00 लाख तक के कार्यों को करने के लिये TS हेतु EE, PHE को अधिकृत किया गया है। रू. 20.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से ही दी जायेगी।

1.3 निविदायें ई–टेंडर से ही बुलायी जायेंगी लेकिन रू. 20.00 लाख तक की निविदायें जिला स्तर पर खोली एवं स्वीकृत की जायेंगी।

1.4 सीईओ. जिला पंचायत समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि :

(अ) सभी नल जल योजनायें चालू रहें।

(ब) नल जल योजनाओं की मरम्मत आदि के लिए निविदायें यथाशीघ्र आमंत्रित कर ऐजेंसी निर्धारण का कार्य 31 अक्टूबर के पूर्व हो जाये।

(स) ग्राम पंचायतें नल–जल योजनाओं को प्रतिदिन चालू एवं बंद करने की व्यवस्था करें। इस हेतु सचिव/सहायक सचिव को पाबंद किया जा सकता है।

2. पुरानी आवास योजनायें

2.1 CEO. JP पंचायत अपूर्ण आवासों की जनपदवार समीक्षा करें और 31 अक्टूबर तक आवास पूर्णता के लिये लक्ष्य निर्धरित कर गूगल शीट में 30 सितम्बर तक दर्ज करें ।

2.2 एससी/एसटी वर्ग के जिन हितग्राहियों के आवास अप्रारम्भ हैं अथवा नींव स्तर से ऊपर नही बने हैं उनके आवास पूर्ण कराने के लिए निम्न कार्यवाही की जा सकती हैः

i. यदि वे पीएमएवाय के तहत पात्र हैं तो पूर्व में दी गई राशि समायोजित करते हुये स्वीकृति दी जा सकती है।

ii. प्रत्येक प्रकरण में निर्णय गुण दोष पर पीएमएवाय की जिला स्तरीय समिति लें।

2.3 मुख्यमंत्री आवास मिशन में सभी आवासों को दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कराने के लिए CEO. JP, समीक्षा कर माहवार लक्ष्य निर्धारित करें।

2.4 मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत पात्रता होने के बावजूद भी बैंकों द्वारा ऋण की किश्त हितग्राही को भुगतान नहीं करने की जानकारी विकास आयुक्त को भेजें। ऐसे बैंकों को ब्याज की प्रतिपूर्ति बंद की जायेगी।

2.5 Willful defaulter से वसूली में गति लाई जाए।

2.6 आवास निर्माण नहीं करने के कारण जिन हितग्राहियों से राशि वसूली जा चुकी है उनकी स्वीकृति निरस्त की जाए। ऐसे हितग्राही पीएमएवाय के तहत अपात्र होंगे।

2.7 जिन प्रकरणों में हितग्राही ग्राम में निवास नहीं करते हैं अथवा पलायन कर गए हैं उनके अपलेखन के प्रस्ताव पीएमएवाय की जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा से विकास आयुक्त को भेजे जाएं।

3. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

3.1 राज्य समन्वयक 26 सितम्बर तक रसोइयों को 02 माह का मानदेय उनके खाते में Online जमा कराएं।

3.2 कार्यक्रम के लिए राशन दुकान की पीओएस मशीन में Online कराएं।

3.3 समस्त भुगतान संबंधितों को राज्य स्तर से सीधे Online किये जा रहे है।

3.4 जिला/जनपद स्तर पर MDM के लिए अब कोई व्यय अनुमत्य नहीं है। किसी प्रकार के स्टेशनरी/छपाई/लिखा–पढ़ी के लिए कोई व्यय नहीं किया जाये।

3.5 MDM के लिए तैनात समस्त अमले को गुणवत्ता नियंत्रण पर लगाया जाये।

3.6 जिन SHGs का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाये उनका कार्य आजीविका मिशन के SHGs को दिया जाये।

4. अंत्योदय मिशन

4.1 जिलों की कार्ययोजना पर विचारविमर्श एवं निर्णय 4 से 20 अक्टूबर तक संभाग स्तर पर बैठकें लेकर किया जायेगा। बैठकों की तिथि की जानकारी जिलों को दी गई।

4.2 NRLM के अधीन SHGs की गतिविधियों में विस्तार की माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाना है। अत NRLM के अधिकारियों को आजीविका मिशन के अतिरिक्त कोई कार्य विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नही सौंपा जाये ।

4.3 NRLM विषयक भुगतान में विलम्ब नही किया जाये। CEO. JP अधिकारी को बुलाकर गतिविधि और व्यय को समक्ष में समझ लें और असमंजसता की स्थिति में CEO. NRLM से अथवा विकास आयुक्त से चर्चा कर निराकरण करें ।

4.4 किसी भी कार्यक्रम/योजना पर निर्णय के लिऐ नस्ती एक कार्य दिवस से अधिक CEO. JP पंचायतलंबित नही रखें। नस्तियों पर पृच्छा करने की वजाय कार्यक्रम अधिकारी को समक्ष में बुलाकर निराकरण करें ।

5. एमएलए/एमपी फंड

5.1 कार्य के स्वीकृति आदेश में ही निर्माण एजेंसी का उल्लेख किया जाये।

5.2 स्वीकृत राशि कोषालय से ECS से सीधे निर्माण एजेंसी (पंचायत ग्रायांसे) के खाते में भेजी जाये

5.3 किसी भी दशा में जिला/जनपद पंचायत के खाते में धनराशि नहीं भेजी जाए।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना

6.1 उज्जैन एवं राजगढ़ जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। नीचे से 06 जिलों ने आश्वस्त किया कि अगली वीसी. तक वे 2000 आवास पूर्ण करा लेंगे।

6.2 आवासों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये। लक्ष्य अथवा पुरूस्कार की दौड में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाये। ध्यान रखें की अपूर्ण आवास को

6.3 पूर्ण बताने की दशा में जनपद/ जिला पंचायत पुरस्कार योजना के तहत् अपात्र हो जाएगे

6.4 मिस्त्री प्रशिक्षण विभागीय तौर से EE.RES से कराने की व्यवस्था की गई है। CEO. JP जिले में प्रशिक्षणसत्र प्रारंभ करायें और प्रशिक्षण के दौरान स्वयं निरीक्षण भी करें।

7. स्वच्छ भारत मिशन

7.1 जिला शाजापुर एवं होशंगाबाद 2 अक्टूबर को ODF घोषित होने की आवश्यक तैयारी समय पर पूरी करें।

7.2 जिला अलीराजपुर, छिदवाडा, दतिया, रायसेन, रीवा, एवं सीधी ने अंतराष्ट्रीय शौचालय दिवस पर जिलों को ODF घोषित करने के लिऐ आश्वस्त किया। खंडवा, मंदसौर, रतलाम, एवं विदिशा जिलों को दिसम्बर माह में ODF घोषित करने के लिऐ कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें ।

7.3 भारत सरकार के MIS में दर्ज दिव्यांगों के शौचालय विहीन घरों में शौचालय निर्माण की समीक्षा CEO. ZP पृथक से कर लें।

8. पंचपरमेश्वर

8.1 संचालक, पंचायत द्वारा बार–बार स्मरण कराने के बाद भी कुछ CEO. JPs ने भवन विहीन पंचायतों कि जानकारी गूगल शीट पर दर्ज नही की है कल दोपहर तक जो CEO. JP भवन विहीन पंचायतों की जानकारी दर्ज नहीं करेंगे उन्हें 02 वेतनवृध्दि रोकने हेतु SCN जारी किया जाये।

8.2 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चाहा है कि 01 से 15 अक्टूबर में ''ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा'' आयोजित किया जाये। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइड http://rural.nic.in/documents/presentations पर है CEO. ZP एक प्रति निकालकर तैयारी प्रारंभ करें। राज्य स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

9. मनरेगा

जिन जिलों ने लेबर बजट के 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया है उनके वार्षिक बजट के उपयोग की तैयारी की समीक्षा की गई है।

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 28.09.2017 में दिये गये निर्देश

1. आजीविका मिशन (मिशन अत्योदय)

1.1 दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ''ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा'' मनाया जाए। विस्तृत निर्देश पृथक से भेजे गए है। भारत सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप से पखवाड़े की गतिविधियों की जानकारी अपलोड की जाए। इस हेतु चयनित सी0आर0पी0 एवं जी0आर0एस को प्रशिक्षण दिया गया है। पखवाडे में प्रचार–प्रसार के लिए आई0ई0सी0 सामग्री पंचायत विभाग के पोर्टल पर अपलोड की गयी है। जिला पंचायत बैंक के खाते से रुपये 5000/– प्रति विकास खंड के हिसाब से व्यय कर मुद्रण कराया जाए।

1.2 CEO ZP सुनिश्चित करें के आजीविका मिशन की नस्ती पर निर्णय एक कार्य दिवस में ले लिया जाए। आवश्यकता अनुसार मिशन के जिला अधिकारी को व्यक्तिशः बुलाकर उनसे योजना संबंधी जानकारी ली जाए। पूर्व अग्रिम का समायोजन हो जाने के पश्चात् अजीविका गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार अग्रिम दिया जाए।

1.3 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जाए। बैकों को लक्ष्य से अधिक प्रकरण न भेजे। प्रकरण भेजने के पहले बैकों के साथ प्रकरणों की पूर्व समीक्षा कर लें ताकि बैकों से शतप्रतिशत प्रकरण स्वीकृत हो।

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में राजमिस्त्रियों का 45 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा हैं। प्रशिक्षण के प्रारंभ होते ही सभी राजमिस्त्रियों को टूलकिट देने के लिए प्रकरण बनाकर बैकों को स्वीकृति हेतु भेजे जाएं। इस हेतु प्रशिक्षण में बैकों के प्रबंधकों को बुला लिया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक राजमिस्त्री को टूलकिट उपलब्ध हो। मानक टूलकिट का निर्धारण E.N.C. RRDA तत्काल करे।

1.5 ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता के लिए मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना के तहत प्रति विकास खण्ड न्यूनतम दो रोड रोलर के प्रकरण स्वीकृत कराकर 31 अक्टूबर तक रोड रोलर की व्यवस्था कराई जाए। CEO ZP इसे व्यक्तिगत लक्ष्य मानें।

2. स्वच्छ भारत मिशन

2.1 प्रेरकों के मानदेय तथा स्वच्छता सम्मान आदि IEC कार्यो के लिये जिले में निर्मित शौचालयों के लिए बनती IEC राशि का 50 प्रतिशत (शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का 1.875 प्रतिशत) उपलब्ध कराया जाए। इस वित्तीय वर्ष में निर्मित शौचालयों के लिए जिलेवार बनती राशि में से इस वर्ष दी गयी IEC राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि जिलों को जारी की जाए।

2.2 प्रेरकों के मानदेय निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। निर्देश दिए गए कि किसी निश्चित न्यूनतम मासिक मानदेय भुगतान की व्यवस्था अनुमत्य (permission) नहीं है। मानदेय का निर्धारण कार्य आधारित हो। वर्ष 2017–18 में किस कार्य के लिए कितना पारिश्रमिक दिया जाए यह जिले उन्हें IEC में उक्त बिन्दु 2.1 के अनुसार मिलने वाली राशि के आधार पर नियत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2.3 स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान प्रारंभ किए गए सभी शौचालयों का निर्माण अक्टूबर माह में अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाए।

2.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर ईधन चलित वाहन से रुटचार्ट बनाकर ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने और क्लस्टर केन्द्र बनाकर उसके Sorting की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

2.5 ग्रामों में कचरा डालने के लिए सार्वजनिक जगह सुनिश्चित नहीं की जाए। सामुदायिक डस्टबिन से गंदगी बढ़ती है।

2.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जैविक और गैर जैविक कचरे को अलग रखने के लिए ग्राम वासियों को जानकारी एवं समझाईश दी जाए।

2.7 तरल अपशिष्ट प्रबंधन पंच परमेश्वर योजना के तहत सी.सी सड़क एवं पक्की नालियों का निर्माण कराया जाए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन में आवश्यकतानुसार Oxidisation की व्यवस्था रखी जाए।

3. पुरानी आवास योजनाएं

3.1 गूगलशीट में अद्यतन जानकारी प्रविष्टि करते हुए माह अक्टूबर का लक्ष्य निर्धारित करे।

3.2 CM आवास मिशन– गूगलशीट में दर्ज वितरित प्रकरणों का मिलान बैंक द्वारा वास्तविक वितरित प्रकरणों से करके जानकारी अद्यतन करें।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना

4.1 लक्ष्य के 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले विकासखंड एवं 33 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले विशेष ध्यान दे।

4.2 दि. 31.10.17 की स्थिति में जिन जिलों की उपलब्धि एक तिहाई से कम होगी उन्हें असफल श्रेणी में सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।

5. महात्मा गांधी नरेगा

5.1 आधार सीडिंग–नरेगा सॉफ्ट में जिन मजदूरों की आधार सीडिंग हो चुकी है, उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग हो चुकी है, उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग बैंक शाखा के प्रबंधक से संपर्क कर 31 अक्टूबर 2017 तक कराई जाए। इस हेतु बैंक शाखावार नरेगा मजदूरों के आंकड़े निकालकर समीक्षा की जाए। जिन शाखाओं में ज्यादा मजदूरों की आधार सीडिंग शेष है उनके प्रबंधकों से CEO ZP स्वंय संपर्क करें। राज्य समन्वयक लीड बैंक ने बैंकों को पृथक से निर्देश जारी किए है।

5.2 01 नवम्बर 17 से केवल उन्हीं मजदूरों को मजदूरी भुगतान हो सकेगा जिनकी आधार सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में होगी। अतः जिन मजदूरों की आधार सीडिंग नहीं हुई हो उनकी आधार सीडिंग कराई जाए।

6. पंच परमेश्वर

6.1 जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर निर्वाचित पदाधिकारी/सदस्य के विकल्प पर अधोसंरचना कार्य के तहत स्थाई सम्पत्ति निर्माण कार्य यथा सामुदायिक भवन, सी.सी. सड़क, पुलिया, घाट निर्माण, नलजल योजना, चबूतरा निर्माण एवं एल. ई.डी लाईट, आदि लिए जा सकते हैं। पेयजल योजनाओं के लिए पंप व्यवस्था PHE के भण्डार से क्रय करके की जाए। स्वागत द्वार एवं मुरम–गिट्टी, सड़क कार्य नहीं लिये जाएं।

- 7. हर महीने के दूसरे रविवार को रेडियो से सांय 6.00 बजे से 6.30 तक मा. मुख्यमंत्री जी ''दिल से'' कार्यक्रम में आम जन को संबोधित करते है। ''दिल से'' कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था रेडियो, दूरदर्शन एवं केबल टी.वी पर होती है। ग्राम पंचायतों में तथा आम नागरिकों में ''दिल से'' कार्यक्रम को सुनने के लिए जानकारी पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास गृहों में ''दिल से'' कार्यक्रम की जानकारी स्टेन्सिल बनवाकर प्रदर्शित कराई जाए। स्लोगन का प्रारुप जन संपर्क विभाग ने पृथक से उपलब्ध कराया है।

जल संरक्षण ही जल का रक्षण

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी बिन न ऊबरे, मोती मानुस चून।।

उपरोक्त दोहे में रहीम ने पानी का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है, इसको प्रतिपादित करते हुये उसकी उपयोगिता के संबंध में बताया है तथा एक चेतावनी भी हमें दी है, जिसमें कि बिना पानी के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, यहाँ तक कहा है। उन्होंने जल को बचाने व उसके संग्रहण का भी महत्व प्रतिपादित किया है, एक प्रकार से हम कह सकते है कि जल के बिना संपूर्ण प्रकृति की कल्पना करना ही व्यर्थ है।

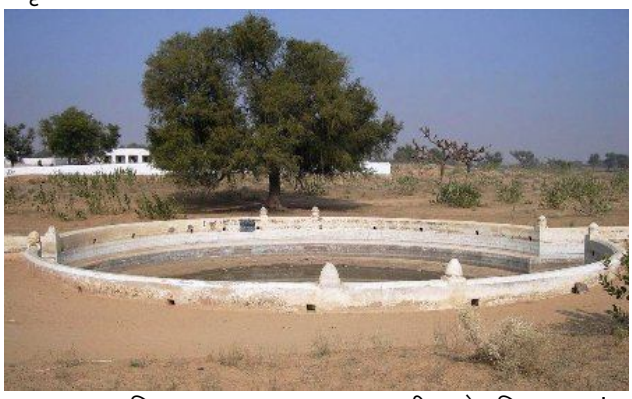

प्रकृति प्रदत्त जल आज सभी को मिलना संभव नहीं, मनुष्य ने अपने उपयोग के लिये प्रकृति द्वारा दिए गये जल स्त्रोतों का अत्यधिक दोहन व दुरुपयोग किया है। परिणामस्वरूप आज जल का संकट पैदा हो गया है। आज यह कहा जाने लगा है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के मुद्दे पर होगा। आज जलसंकट की परस्थिति क्यों निर्मित हुई ? इसका विचार करने पर हम पाऐंगे की इसके लिये संपूर्ण मानव जाति उत्तरदायी है। क्योंकि हमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये जंगलो को काटना जारी रखा, पर्यावरण के संतुलन को समाप्त किया तथा जंगलों, वृक्षों व बाग बगीचों को नष्ट कर उनके स्थान पर गगनचुंबी, अंट्टालिका खड़ी कर प्रकृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। भूगर्भ में स्थित जल को भी समाप्त करने के प्रयत्न निरंतर चालू है। भारत में विगत वर्षो की तुलना में वर्षा में कमी आई है। देश के अनेक हिस्सो में अवर्षा की स्थिति में सूखे का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कृषि व कृषि आधारित उद्योगों, पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनाज का उत्पादन हमारे यहाँ आज भी वर्षा पर ही निर्भर है, यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती तो अनाज का उत्पादन कम होता है।

पृथ्वी के अंदर स्थित भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन हम घर–घर व जगह–जगह पर बोरिंग कर जल को उत्सर्जित कर रहे है। देश में जो वर्षा होती है, उसका मात्र 10–20 प्रतिशत जल हम संग्रहित कर पाते है, शेष जल व्यर्थ ही बह जाता है। हमारे यहाँ सतही जल के सरंक्षण हेतु नदी, तालाब, कुएँ व बावड़ियाँ थीं, जो वर्षा के जल को संग्रहित करने के सबसे अच्छे साधन थे, किन्तु आज इन जल भंडारों के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं। इन जल भंडार स्त्रोतो का ठीक प्रकार से रख–रखाव कर उसे संरक्षित किया जाए, ताकि वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके। वर्षा के जल को संग्रहित करने का आधुनिक तरीका रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, इसके माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सकता है। सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी घरों में वर्षा के जल के संरक्षण हेतु रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। वर्तमान में यह व्यवस्था लागू है, किन्तु मात्र कागजों तक सीमित है। इसी प्रकार वर्षा के जल से कुओं व हैंड पंपों की रिचार्जिंग भी की जा सकती है, ताकि भूजल का स्तर बढाया जा सके। बड़े स्तर पर स्टॉपडेम, चेकडेमों व बांधों के द्वारा भी वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सकता है। वाटरशेड (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) योजना के अन्तर्गत तथा महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी के अंतर्गत छोटी–छोटी सरंचनाएँ तैयार कर वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सकता है। वन क्षेत्र व पौधरोपण के माध्यम से भी वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सकता है। अॅचल में भीषण पेयजल संकट के म्ददेनजर, प्रतिदिन जहाँ एक ओर सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, गतिविधियाँ, रैली, कार्यशालाओं, सेमीनार, सभाओ, नुक्कड़ नाटकों, जल यात्राओं व अन्य तरीकों से संचालित की जा रही है, दूसरी ओर नागरिक, महिलाएँ, बच्चे, बूढे हाथ में खाली बर्तन लेकर पानी की कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, उन लोगों के समक्ष तो मात्र एक प्रश्न पानी कैसे भरा जाएगा है पानी, को लेकर वर्ग संघर्ष बढते जा रहे है, उस व्यक्ति या परिवार को रैली, कार्यशालाओं या जल यात्राओं से कोई सरोकार नहीं, उसे तो जल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में मात्र जागरूकता ही पर्याप्त नहीं, कुछ ठोस निर्णय लेकर पानी की समस्या का हल खोजना चाहिए। जल की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ व कारगर बनाते हुये जिन क्षेत्रों में वितरण अधिक समय के लिये हो रहा है, वहाँ का समय रहते हुये संकटग्रस्त क्षेत्र में वितरण व्यवस्था की जाना चाहिए।

संजय जोशी
संकाय सदस्य

स्टेट लेविल मास्टर रिसोर्स पर्सन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम

पंचायतराज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Transforming India Through Strengthening PRIs by Contnuous Training and E-enablement अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद (NIRD&PR) द्वारा संस्थान में स्टेट लेविल मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम दिनांक 10 से 13 अक्टूबर 2017 की अवधि में आयोजित किया गया।

उपस्थित प्रतिभागियों के सर्टीफिकेशन करने के लिए एनआईआरडी एण्ड पीआर हैदराबाद के आधिकारी एवं मूल्याकंनकर्त्ताओं द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी की विषय पर जानकारी, समूह चर्चा में सहभागिता, प्रतिभागियों के अनुभव, प्रजेंटेशन स्किल आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियां सम्पन्न की गई।

इस प्रोग्राम में संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिथिवार्ताकार के रूप में आने वाले 34 सेवानिवृत्त अधिकारी सम्मिलित हुये।

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्री राधेश्याम जुलानिया (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR